



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax: 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक /तक/अधी.यंत्री-3/प्रनिबो/2015,

भोपाल, दिनांक

// कार्यालय आदेश //

बोर्ड मुख्यालय स्तर पर वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों/खदानों/संस्थानों के स्थापना एवं उत्पादन सम्मति प्रकरणों में तकनीकी प्रस्तुतीकरण उपरांत निराकरण किया जाता है। चूंकि हरी श्रेणी के उद्योग सामान्यतः अल्प प्रदूषणकारी प्रकृति के तथा रेत खदानों की खनन प्रक्रिया भी अल्प प्रदूषणकारी प्रकृति की होती है। अतः हरी श्रेणी के उद्योग तथा रेत खदानों के स्थापना एवं उत्पादन सम्मति प्रकरणों में तकनीकी प्रस्तुतीकरण की अनिवार्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है, तथा इन प्रकरणों में विशेष परिस्थितियों में मतभिन्नता/किसी प्रकार की आपत्ति होने की स्थिति में तकनीकी प्रस्तुतीकरण कराया जा सकता है।

(ए.ए. मिश्रा)


सदस्य सचिव

पृ.क्रमांक 6009/तक/अधी.यंत्री-3/प्रनिबो/2015,

भोपाल, दिनांक 10/12/15

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त यूनिट हेड, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि उक्त आदेश बोर्ड की वेब-साईट पर अपलोड करें।


(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव